उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–10
संख्या–1142 / 6–पु0–10–2015–27(6) / 2015
लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा–21 और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5, सन् 1861) की धारा–2 के साथ पठित धारा–46 की उपधारा–(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।
(2) यह इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–15 संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011 में, नियम–15 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा (अर्हकारी) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी होगी। हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग की दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।	(3) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा (अर्हकारी) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी परीक्षा होगी। कम्प्यूटर टंकण की गति हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है। पूर्वोक्त गति के साथ 85 प्रतिशत की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। हिन्दी टंकण यूनीकोड इन्स्क्रिप्ट की–बोर्ड पर आधारित होगा।

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव, गृह।